## <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 382 / 17</u> <u>संस्थापन दिनांक:-05 / 12 / 11</u> <u>फायलिंग नं. 957 / 17</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

<u>...... अभियोजन</u>

### वि रू द्ध

- रामिकशोर उर्फ कालू पिता जग्गुलाल उम्र 23 वर्ष, निवासी खारी, थाना आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- राजेंद्र पिता रमन यादव,
  उम्र 34 वर्ष, निवासी सलैय्या,
  थाना सारणी जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

# <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

## (आज दिनांक 05.12.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त रामिकशोर उर्फ कालू के विरूद्ध धारा 279 भा0दं०सं० एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.11.2017 को समय 06:30 बजे स्थान ग्राम खारी स्थित बिच्छूखान घाट के पास मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमसी—9114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त मोटर सायिकल को बिना लाईसेंस एवं बीमा के चलाया एवं अभियुक्त राजेंद्र पर धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 12.11.2017 को समय 06:30 बजे स्थान ग्राम खारी स्थित बिच्छूखान घाट के पास मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमसी—9114 को बिना अनुज्ञप्ति धारक रामिकशोर को चलाने को दिया एवं उक्त मोटर सायिकल बिना बीमा के चलवाया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 12.11. 2017 को अपने पति के साथ मोटर सायिकल से खेत से अपने घर वापस आ रही थी। तभी बिच्छूखान घाट के पास खारी का कालू कोरकू ने उसकी मोटर सायिकल को तेज व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दी जिससे वह तथा उसका पित गिर गये। एक्सीडेंट में उसके पित को

सिर एवं मुंह में चोट आयी तथा उसे सीधे पैर में चोट लगी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में कालू कोरकू के विरुद्ध अपराध क. 578/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमसी—9114 मय मूल रिजस्ट्रेशन के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। आहत मनीराम को अस्थिभंग पाये जाने से एवं अभियुक्त के पास झ्यविंग लायसेंस न होने से अभियुक्त रामिकशोर के संबंध में अभियोग पत्र में धारा 338 भा.दं.सं. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम एवं अभियुक्त राजेंद्र के विरुद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी सरस्वती एवं आहत मनीराम का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त रामिकशोर को धारा 337, 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त रामिकशोर उर्फ कालू के विरूद्ध लगे धारा 279 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/181, 146/196 एवं अभियुक्त राजेंद्र के विरूद्ध लगे धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त रामकिशोर उर्फ कालू ने मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमसी—9114 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त रामकिशोर उर्फ कालू ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
- 3. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त राजेंद्र ने अपनी मोटर सायकिल क. एमपी—48—एमसी—9114 को बिना

अनुज्ञप्ति धारक रामकिशोर उर्फ कालू को चलाने को दिया एवं उक्त मोटर सायकिल को बिना बीमा के चलवाया ?

निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

#### विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

- 6 सरस्वती (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना पीछले माह की बिच्छूखान घाट के पास की है। घटना के समय वह अपने पित मनीराम की मोटर सायिकल में बैठकर उसके साथ घर आ रही थी। तभी रास्ते में बिच्छूखान घाट के पास सामने से एक गाड़ी आयी जिसे देखकर उसके पित की गाड़ी अनबेलेंस होकर गिर गयी जिससे वे गिर गये थे। गिरने से उसे सीधे पैर में तथा उसके पित को मुंह तथा सिंर में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) थाने में दर्ज करवायी थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था।
- 7 साक्षी मनीराम (अ.सा.—2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना पीछले माह की बिच्छूखान घाट के पास की है। घटना के समय वह अपनी मोटर सायकिल से सरस्वती को लेकर अपने घर वापस आ रहा था। तभी बिच्छूखान घाट के पास सामने से एक गाड़ी आयी जिसे देखकर उसकी गाड़ी अनबेलेंस होकर फिसल कर गिर गयी थी और गिरने से उसे सिर एवं मुंह में चोट आयी थी तथा सरस्वती को सीधे पैर में चोट आयी थी।
- 8 उपर्युक्त दोनों साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस बात को गलत बताया है कि घटना दिनांक को बिच्छूखान घाट पर अभियुक्त ने अपनी मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमसी—9114 को तेज व लापरवाही से चलाकर उनकी मोटर सायिकल को टक्कर मार दी थी। स्वतः में साक्षीगण ने व्यक्त किया है कि सामने से मोटर सायिकल आती देखकर उनकी गाड़ी अनबेलेंस होकर गिर गयी थी और गिरने से उन्हें चोटें आयी थी। इसके अतिरिक्त साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में भी इस बात को सही बताया है कि अभियुक्त ने उसकी मोटर सायिकल से उन्हें टक्कर नहीं मारी थी। इस प्रकार साक्षी सरस्वती (अ.सा.—1) एवं मनीराम (अ.सा.—2) ने घटना दिनांक को कथित मोटर सायिकल अभियुक्त द्वारा चलाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

#### विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त रामिकशोर उर्फ कालू के द्वारा मोटर सायिकल क. एमपी—48—एमसी—9114 को चलाया गया। तब ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया गया तथा अभियुक्त राजेंद्र ने अपनी मोटर सायिकल बिना लायसेंस धारी को चलाने को दिया। जब प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा कथित मोटर सायिकल को चलाया गया तब ऐसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा मोटर सायिकल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः अभियुक्त रामिकशोर उर्फ कालू को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं धारा 3/181, 146/196 तथा अभियुक्त राजेंद्र को धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

- 11 प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क. एमपी—48—एमसी —9114 उसके पंजीकृत स्वामी अभियुक्त राजेंद्र पिता रमन यादव को प्रदान की जावे।
- 12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)